मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
द्वितीय तल, विन्ध्याचल भवन,
भोपाल - 462 004

क्र. 16230 /22/वि-9/आरजीएम/2005 भोपाल, दिनांक 24/11/2005

प्रति,

कलेक्टर,
जिला – बड़वानी, बालाघाट, बैतूल, छतरपुर, धार, झाबुआ, खण्डवा, खरगोन, मण्डला, शहडोल, श्यौपुर, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़ एवं उमरिया (म.प्र.)।

विषयः मध्यप्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु गैर शासकीय संस्थाओं (एन.जी.ओ.) के चयन के संबंध में।

मध्यप्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु Shelf of Project तैयार करने के संबंध में पत्र क्र. 15201/22/वि-9/आर.जी.एम./2005 भोपाल दिनांक 31.10.2005 द्वारा आपको निर्देशित किया गया था। Shelf of Project तैयार करने के उपरांत ग्राम पंचायतों द्वारा जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के क्रियान्वयन के संबंध में निर्णय लिये जाने पर ग्राम पंचायतों को परियोजना के क्रियान्वयन में सहयोग, सलाह एव मार्गदर्शन देने के लिए परियोजना क्रियान्वयन दल की नियुक्ति की जानी होगी। मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना एवं डी.पी.आई.पी. योजना के अन्तर्गत चयनित गाँवों हेतु परियोजना क्रियान्वयन दल इन योजनाओं के पी.एफ.टी. होंगे। अन्य ग्राम पंचायतों/गाँवों हेतु कृषि विभाग, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं अन्य कार्यकारी विभाग परियोजना क्रियान्वयन दल के रूप में नियुक्त किये जायेंगे। गैर शासकीय संस्थाओं (एन.जी.ओ.) को भी परियोजना क्रियान्वयन दल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

2. चयन की प्रक्रिया

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु गैर शासकीय संस्थाओं को परियोजना क्रियान्वयन दल के रूप में नियुक्त करने के लिए प्रत्येक जिले में एन.जी.ओ. का निम्नानुसार पैनल तैयार किया जायेगा। परियोजना क्रियान्वयन दल के रूप में एन.जी.ओ. की नियुक्ति पैनल में शामिल एन.जी.ओ. में से ही किया जाना है।

- गैर शासकीय संस्थाओं (एन.जी.ओ.) के चयन के लिए सर्वप्रथम जिले में कार्यरत सभी इच्छुक एन.जी.ओ. से इस संबंध में आवेदन बुलाये जाए। इसके लिए स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रसारित किया जा सकता है।

- परियोजना क्रियान्वयन दल के रूप में नियुक्ति के लिए इच्छुक एन.जी.ओ. से प्राप्त आवेदनों के आधार पर एन.जी.ओ. के चयन के लिए निम्न मानदण्डों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए :

  - ✓ ऐसे एन.जी.ओ. से ही आवेदन आमंत्रित किया जाना है, जो प्राकृतिक संसाधनों एवं जलग्रहण प्रबंधन, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक उत्थान आदि के क्षेत्र में कम से कम 03 वर्षों का अनुभव रखते हों।

  - ✓ इच्छुक एन.जी.ओ. के पूर्व इतिहास को ज्ञात किया जाए। इस इतिहास में संस्था की कार्यप्रणाली, सामर्थ्य एवं पूर्व में सम्पादित कार्यों का समाज पर प्रभाव आदि का आकलन किया जाए।

  - ✓ इच्छुक एन.जी.ओ. का पंजीयन रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटी, मध्यप्रदेश से कम से कम तीन वर्ष पूर्व का होना आवश्यक है।

- ✓ इच्छुक एन.जी.ओ. द्वारा आवेदन के साथ विगत तीन वर्षों के ऑडिट रिपोर्ट एवं उनके द्वारा पिछले तीन वर्षों में सम्पादित कार्यों का विवरण संलग्न किया जाए।

- ✓ इच्छुक एन.जी.ओ. अपने सक्रिय सदस्यों/विशेषज्ञों की सूची आवेदन के साथ संलग्न करेंगे। एन. जी.ओ. के सदस्यों/विशेषज्ञों का अनुभव जल संरक्षण एवं संवर्धन, सामुदायिक संगठन एवं गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में होना चाहिए तथा परियोजना क्रियान्वयन दल में शामिल होने की स्थिति में संस्था जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन गतिविधियों से संबंधित विशेषज्ञों की देखरेख में गतिविधियों का संचालन आदेश क्र. 22 के अनुसार सुनिश्चित करेगी।

इच्छुक एन.जी.ओ. के पूर्व इतिहास, लेखा एवं ऑडिट एवं पंजीयन आदि का परीक्षण करने के उपरांत परियोजना क्रियान्वयन दल हेतु एन.जी.ओ. का चयन कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा। चयन का अनुमोदन चयन के उपरांत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु एन.जी.ओ. पैनल की सूची का अनुमोदन जिला स्तरीय जलग्रहण तकनीकी सलाहकार समिति से प्राप्त किया जायेगा।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जलग्रहण परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कृपया उपरोक्तानुसार गैर शासकीय संस्थाओं के चयन की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(वसीम अख्तर)
सचिव
ग्रामीण विकास विभाग
म.प्र. शासन

पृ.क्र. 16231/22/वि–9/आरजीएम/2005 भोपाल, दिनांक 24/11/2005

प्रति,

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत -- बड़वानी, बालाघाट, बैतूल, छतरपुर, धार, झाबुआ, खण्डवा, खरगोन, मण्डला, शहडोल, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़ एवं उमरिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
ग्रामीण विकास विभाग
म.प्र. शासन

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन
द्वितीय तल, विन्ध्याचल भवन,
भोपाल - 462 004

क्र. 1150 /22/वि-9/आरजीएम/2006 भोपाल, दिनांक 28 /01/2006

प्रति,

कलेक्टर,
जिला - बड़वानी, बाला घाट, बैतूल, छतरपुर, धार, झाबुआ, खण्डवा, खरगोन, मण्डला, शहडोल, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़, उमरिया, डिण्डोरी, सतना एवं सिवनी (म.प्र.)।

विषयः वर्ष 2005-06 में मध्यप्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं का नवीन जलग्रहण गाईड लाईन (2006) के आधार पर आयोजना व क्रियान्वयन के संबंध में।

1. पृष्ठभूमि :

1.1 मध्यप्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीण परिवारों के वयस्क व्यक्तियों को, जो अकुलशल मानव श्रम करने हेतु तैयार हैं, उन्हें एक वर्ष में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम का सहायक उद्देश्य यह भी है कि रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ गाँव के स्तर पर अधोसंरचना का विकास किस प्रकार किया जाए कि गरीब परिवारों के लिए स्थायी आय (Sustainable Employment) की व्यवस्था हो एवं उनके जीवन यापन के स्तर में सुधार आ सके।

1.2 जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जलग्रहण क्षेत्र विकास के सिद्धांत के आधार पर मिट्टी के कटाव पर नियंत्रण तथा जल संरक्षण तथा संवर्द्धन करना है, ताकि कृषि उत्पादन और वानस्पतिक आच्छादन में वृद्धि के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में जीविका के स्थायी साधन उपलब्ध हो सकें। जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत लिये जाने वाले जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्य श्रमजन्य भी होते हैं। अतः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम का क्रियान्वयन जहाँ एक ओर ग्रामीणों को समुचित मात्रा में रोजगार उपलब्ध करा सकता है, वहीं ग्रामीणों के लिए जीविका के स्थायी साधन भी उपलब्ध हो सकते हैं।

1.3 अतः उक्त पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत शामिल जिलों में जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम को एक महत्वपूर्ण रोजगारमूलक कार्यक्रम के रूप में शामिल किया गया है। इस हेतु प्रत्येक जिले में निम्नानुसार कार्यवाही एवं नियोजन किया जाना है :

2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गरंटी योजना के तहत जलग्रहण परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत (2006)

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गरंटी योजना के तहत जलग्रहण परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत (2006) पत्र के साथ सलग्न कर भेजे जा रहे हैं। मार्गदर्शी सिद्धांत में एन.आर.ई.जी. के तहत जलग्रहण परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु संस्थागत व्यवस्थाएं एवं उनकी भूमिका, शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट के निर्माण, अनुमोद, प्राथमिकता सूची का निर्धारण, प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय प्रबंधन, राशी जारी करने की प्रक्रिया, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन व्यवस्थाएं तथा परिसंपत्तियों के रख-रखाव आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदाय की गयी है। कृपया मार्गदर्शी सिद्धांत के अनुरूप एन.आर.ई.जी. के तहत जलग्रहण परियोजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। एन.आर.ई.जी. के तहत जलग्रहण परियोजनाओं के क्रियान्वयन का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण समुदाय को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यों (मिट्टी व पानी का संरक्षण तथा

संवर्धन) को क्रियान्वित कर पड़त भूमि का विकास करना एवं ऐसी भूमि को पुनः उत्पादन योग्य बनाकर इसका उपयोग उन्नत कृषि, उद्यानिकी, कृषि उद्यानिकी, वानिकी, कृषि वानिकी, घास उत्पादन आदि कार्यों हेतु करना है। परियोजना के अन्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं :–

1. ग्रामीण समुदाय को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
2. सतही जल संग्रहण और भूजल संवर्धन के द्वारा गांवों में सिंचाई के लिये, पीने के लिये और निस्तार तथा पशुओं के लिये पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ताकि संबंधित क्षेत्र में सूखे की परिस्थितियों से निपटने (Drought Proofing) की क्षमता विकसित हो सके
3. पानी का समुचित वितरण तथा उचित प्रबंधन
4. एक फसली कृषि क्षेत्र का दो फसली कृषि क्षेत्र में परिवर्तन
5. फसल प्रबंधन तथा कृषि उत्पादन में इष्टतम वृद्धि
6. पशुओं के लिये पर्याप्त चारे का उत्पादन
7. आवश्यकतानुसार वानस्पतिक आच्छादन में वृद्धि
8. संसाधनहीन ग्रामीणों के लिये आयममूलक गतिविधियों द्वारा जीविका के साधन उपलब्ध कराना
9. महिलाओं को बचत व साख हेतु प्रेरित करना

3. जलग्रहण क्षेत्र का चयन एवं अनुमोदन :

3.1 पत्र क्र. 15201/22/वे–9/आर.जी.एम./2005 भोपाल, दिनांक 31.10.05 द्वारा एन.आर.ई.जी. के तहत जलग्रहण परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आगामी 05 वर्षों के लिए प्राथमिकता सूची तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया था। इन निर्देशों के अनुक्रम में प्रत्येक वर्ष कम से कम 10 माइक्रो वाटरशेड (लगभग 20 हजार हेक्टेयर) को प्राथमिकता के आधार पर उपचार करने हेतु चयनित करने के लिए कहा गया था। चूँकि 02 फरवरी 2006 से एन.आर.ई.जी. योजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ किया जा रहा है। अतः एन.आर.ई.जी. के तहत जलग्रहण परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2006 हेतु प्राथमिकता सूची में शामिल 40 माइक्रो वाटरशेडों में से न्यूनतम 10 माइक्रो वाटरशेडों का चयन किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में एवं जिले में रोजगार के मांग को ध्यान में रखते हुए 10 से अधिक माइक्रो वाटरशेडों का भी चयन किया जा सकता है।

3.2 वर्ष 2006 हेतु एन.आर.ई.जी. के तहत जलग्रहण परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु माईक्रोवाटरशेडों का चयन जिला स्तरीय जलग्रहण तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा किया जायेग। जिला स्तरीय जलग्रहण तकनीकी समिति द्वारा यह निर्णय जिले में पदस्थ कृषि विभाग, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, मध्यप्रदेश ग्रामीण अजीविका परियोजना, जिला गरीबी हटाओ योजना तथा राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन के अधिकारियों से चर्चा उपरांत किया जायेगा।

3.3 जिला स्तरीय तकनीकी सलहाकार समिति की अनुशंसा उपरांत जिला स्तरीय जलग्रहण क्षेत्र सलाहकार समिति द्वारा अनुमोदन के आधार पर कलेक्टर द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जायेगी। जलग्रहण परियोजना के तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में विस्तृत निर्देश मार्गदर्शी सिद्धांत (2006) के कंडिका क्रमांक 6.1 एवं 6.2 में विस्तृत रूप से दिया गया है।

3.2 चयनित माइक्रो वाटरशेड की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति तथा क्रियान्वयन राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन के स्थायी निर्देशों, आदेशों एवं क्रियान्वयन प्रणाली के अनुरूप किया जायेगा।

4. परियोजना क्रियान्वयन दल की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण :

4.1 उपरोक्तानुसार वर्ष 2006 हेतु जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन के आधार पर क्रियान्वयन हेतु चयनित माईक्रोवाटरशेडों की आयोजना व क्रियान्वयन हेतु परियोजना क्रियान्वयन दल की नियुक्ति की जायेगी। एन.आर.ई.जी. के तहत जलग्रहण परियोजनाओं हेतु कार्यकारी एजेंसी कृषि विभाग, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, मध्यप्रदेश ग्रामीण अजीविका परियोजना, जिला गरीबी हटाओं योजना

तथा राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन हैं। अतः एन.आर.ई.जी. के तहत जलग्रहण परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु परियोजना क्रियान्वयन दल के रूप में इन एजेंसियों को ही नियुक्त किया जायेगा।

4.2 एन.आर.ई.जी. के तहत जलग्रहण परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्यकारी एजेंसियों में से परियोजना क्रियान्वयन दल के रूप में नियुक्ति कृषि विभाग, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकारण, मध्यप्रदेश ग्रामीण अजीविका परियोजना, जिला गरीबी हटाओ योजना तथा राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन के वर्तमान कार्यक्षेत्र को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा। अर्थात् प्राथमिकता सूची में से वर्ष 2006 में क्रियान्वयन हेतु चयनित 10 माईक्रोवाटरशेडों का क्षेत्र जिस क्रियान्वयन एजेंसी के कार्यक्षेत्र अथवा उसके समीप होगा उनके लिए परियोजना क्रियान्वयन दल के रूप में उस क्रियान्वयन एजेंसी को ही नियुक्त किया जायेगा।

4.3 स्वीकृत माइक्रो वाटरशेडों की आयोजना एवं क्रियान्वयन के लिए परियोजना क्रियान्वयन दल का गठन विभाग के आदेश क्र. 22 (जावक क्र. 14755/22/वि–9/आर.जी.एम./2005 दिनांक 22/10/2005) की कंडिका – 5 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

4.4 एन.आर.ई.जी. के तहत जलग्रहण परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु गैर शासकीय संस्थाओं को भी नियुक्त किया जा सकता है। सभी जिलों को एन.आर.ई.जी. के तहत जलग्रहण परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु गैर शासकीय संस्थाओं का पैनल चयनित करने के लिए पत्र क्रमांक 18288/22/वि–9/आरजीएम/2005 भोपाल दिनांक 28.12.05 द्वारा निर्देशित किया गया था। आपके द्वारा एन.जी.ओ. के पैनल तैयार करने एवं राज्य स्तर से इसके अनुमोदन के उपरांत गैर शासकीय संस्थाओं को भी परियोजना क्रियान्वयन दल के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा।

4.5 परियोजना क्रियान्वयन दल के रूप में दल का गठन एवं नियुक्ति करते समय पूर्व में चयनित व नियुक्त परियोजना क्रियान्वयन दल के ऐसे सदस्यों को प्राथमिकता दी जाये जिन्होंने जलग्रहण क्षेत्र विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ठि कार्य किये हों।

4.6 शासकीय परियोजना क्रियान्वयन दल के परियोजना अधिकारी के रूप में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी राजपत्रित व अनुविभागीय स्तर के अधिकारी को ही नियुक्त किया जावे। किसी भी परिस्थिति में उपयंत्रियों को परियोजना अधिकारी के रूप नियुक्त न किया जावे।

4.7 परियोजना क्रियान्वयन दल में नियुक्त किये गये सभी परियोजना अधिकारियों, परियोजना समन्वयकों तथा दल के सदस्यों को एन.आर.ई.जी. के तहत जलग्रहण परियोजनाओं के क्रियान्वयन की अवधारणा, उद्देश्य तथा चयनित क्षेत्र में कार्ययोजना, क्रियान्वयन तथा मार्गदर्शी सिद्धांत के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाये। इस प्रशिक्षण हेतु मिशन द्वारा भोपाल में प्रशिक्षित जिला मास्टर प्रशिक्षकों का उपयोग किया जाये। परियोजना क्रियान्वयन दल के समस्त सदस्यों को एन.आर.ई.जी. के तहत जलग्रहण परियोजनाओ के क्रियान्वयन के संबंध में अभी तक जारी समस्त आदेशों तथा साहित्य की प्रति उपलब्ध कराई जाये, ताकि वे जलग्रहण परियोजना की अवधारणा एवं कार्य प्रणाली से भली–भांति परिचित हो सकें।

5. कार्यक्रम की आयोजना :

5.1 प्रचार–प्रसार :

5.1.1 एन.आर.ई.जी. के तहत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम की अवधारणा जनसहभागिता आधारित है अतः उपरोक्तानुसार स्वीकृत माईक्रोवाटरशेडों का क्रियान्वयन करने से पूर्व आवश्यक है कि स्वीकृत माईक्रोवाटरशेड के अन्तर्गत माइक्रोवाटरशेड में रहने वाले ग्रामीणों के मध्य कार्यक्रम का पुरजोर प्रचार–प्रसार ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाये, ताकि स्थानीय ग्रामीण समुदाय कार्यक्रम की अवधारणा, कार्यप्रणाली, ली जाने वाली जलग्रहण क्षेत्र विकास गतिविधियों के विविध विकल्पों की जानकारी व कार्यक्रम की उपयोगिता से परिचित हो सकें तथा परियोजना में उनकी सहभागिता सुनिश्चित हो सके।

2 कार्यक्रम के प्रचार–प्रसार के लिए चयनित क्षेत्र में कला जत्थे द्वारा जलग्रहण क्षेत्र प्रबधन कार्यक्रम के उद्देश्यों, कार्यप्रणाली तथा लिये जा सकने वाले कार्यों व इनकी उपयोगिता के संबंध में सुगम माध्यमों द्वारा प्रदर्शन, जलग्रहण क्षेत्र प्रबधन से संबंधित नाटकों का मंचन तथा व्यक्तिगत एवं सामूहिक बैठकें और समुदाय के सदस्यों का ध्यान रखते हुए प्रचार–प्रसार का कार्य किया जा सकता है।

.3 परियोजना प्रारंभ के पूर्व उपरोक्तानुसार प्रचार व प्रसार केवल औपचारिकता अथवा कागज पर खानापूर्ति के रूप में नहीं किया जाना चाहिये। प्रचार प्रसार इस तरह का होना चाहिये, जिससे कि ग्रामीणों में परियोजना के प्रति आस्था जागृत हो, उनके मन में परियोजना के कार्यों से कालांतर में प्राप्त होने वाले लाभों के प्रति उत्साह का संचार हो तथा वे आवश्यकता के अनुरूप जलग्रहण क्षेत्र विकास गतिविधियां प्रस्तावित कर सकें और अंततः योजना, क्रियान्वयन व रख रखाव की संपूर्ण प्रक्रिया में पूर्णरूपेण भागीदार बनें।

<u>समूह गठन व उपचार गतिविधियों की कार्ययोजना</u> :

.1 <u>एल.एफ.ए. द्वारा कार्य योजना बनाना</u> :

.1.1 एन.आर.ई.जी. के तहत जलग्रहण परियोजना के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2006 में चयनित माईक्रोवाटरशेडों के अंतर्गत परियोजना क्रियान्वयन दल के नियुक्ति तुरन्त उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत में पहाड़ी क्षेत्र (रिज क्षेत्र) में उपचार का कार्य तत्काल प्रारंभ कर दिया जायेगा तथा साथ साथ परियोजना क्रियान्वयन दल द्वारा ग्राम पंचायत के अंतर्गत मिट्ट, पानी, वानसपति जैसे संसाधनों की वर्तमान स्थिति का आंकलन कर वैज्ञानिक तथा तकनीकी सर्वेक्षण के माध्यम से जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन पद्धति के आधार पर आगामी 04 माह में उपचार हेतु विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जायेगी। विस्तृत कार्ययोजन तैयार होने के उपरांत इसका अनुमोदन ग्राम पंचायत द्वारा कराया जायेगा। ग्राम पंचायत से अनुमोदन के उपरांत विस्तृत कार्ययोजना की प्रशासकीय स्वीकृति जिला पचायत, जिला स्तरीय तकनीकी सलाहकार समिति एवं जिला स्तरीय जलग्रहण क्षेत्र सलाहकार समिति से प्राप्त किया जायेगा।

6.1.2 उपरोक्तानुसार स्वीकृत माईक्रोवाटरशेडों की कार्ययाजना बनाने के पूर्व पड़त/बंजर भूमि, मिट्टी, पानी तथा वनस्पति जैसे संसाधनों की वर्तमान स्थिति, इनसे जुड़ी हुई समस्यायें तथा इन समस्याओं के मूल कारणों की पहचान करना आवश्यक है, ताकि इन समस्याओं के निदान हेतु सर्वाधिक उपयुक्त जलग्रहण क्षेत्र विकास गतिविधि को चयनित की जा सकें और परियोजना के निहित उद्देश्य के अनुरूप लक्ष्य तथा परिणाम निर्धारित किये जा सकें। यह भी आवश्यक है कि परियोजना के तहत् लिये जाने वाले कार्यों से लाभ प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की सुस्पष्ट पहचान की जाये। इस पृष्ठ भूमि के अनुरूप लॉजिकल फ्रेमवर्क एनॉलिसिस सर्वाधिक सशक्त माध्यम है, जिसके द्वारा परियोजना के Goal/Vision निर्धारित कर उनकी प्राप्ति के प्रकार के नियोजन से जलग्रहण परियोजनाओं के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं भौतिक गतिविधियों का क्रियान्वयन इस प्रकार सुनिश्चित किया जा सकता है, जिससे निर्धारित सांकेतकों के अनुरूप प्रगति एवं प्रभावों को प्राप्त किया जा सके। कार्ययोजना तैयार करने के संबंध में विभाग के आदेश क्र. 21 (जावक क्र. 12797/22/वि–9/आर.जी.एम./2005 दिनांक 08/09/2005) में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा। LFA के द्वारा कार्य योजना बनाने का कार्य निम्न चरणों में संपादित किया जाता है:–

- **भागीदारी विश्लेषण** : गाँव के विभिन्न समुदाय एवं समूहों की परियोजना से अलग–अलग प्रयोजन एवं स्वार्थ होते हैं। अतः जलग्रहण परियोजना के क्रियान्वयन के पहले यह बहुत जरूरी है कि इनकी अपेक्षाओं एवं समस्याओं की पहचान की जाए, जिससे परियोजना की आयोजना इनको ध्यान में रखते हुए किया जा सके। यह विश्लेषण सहभागी ग्रामीण समीक्षा (पी.आर.ए.) एवं नेट प्लानिंग के माध्यम से किया जा सकता है।
  - पी.आर.ए. के माध्यम से गाँव की मूलभूत जानकारी, फलियावार जाति एवं परिवारों की संख्या, मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता, मिट्टी के प्रकार, पर्यावरण एवं पशुधन की सामान्य जानकारी, महिलाओं की स्थिति आदि की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

विभिन्न समुदाय वर्ग में व्याप्त समस्याओं की जानकारी के आधार पर समुदाय को विभिन्न लाभार्थी समूहों में विभाजित किया जा सकता है, जिससे हमें उन लाभार्थी समूहों की पहचान कर सकते हैं जिन्हें परियोजना के तहत प्राथमिकता दिया जाना है।

- **नेट प्लानिंग :** नेट प्लानिंग के माध्यम से जलग्रहण परियोजना के अन्तर्गत गाँव के प्रत्येक परिवार का सर्वेक्षण किया जाता है, जिसमें समुदाय के सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए कृषि भूमि, मिट्टी के प्रकार, उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन, मवेशी, चारा की उपलब्धता आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त कर गाँव के खसरा नक्शे पर अंकित किया जाता है। इस प्रकार के सर्वेक्षण से गाँव के प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित कर वहाँ के संसाधनों की स्थिति एवं उनसे जुड़ी प्रमुख समस्याओं की जानकारी प्राप्त की जाती है, जिससे समुदाय की आवश्यकताओं पर आधारित कार्ययोजना का निर्माण किया जा सकता है।

- **समस्या विश्लेषण :** गाँव के विभिन्न समुदाय एवं लाभार्थी समूहों की समस्या की उपलब्ध जानकारी के आधार पर समस्या वृक्ष का निर्माण करते हुए गाँव की प्रमुख पर्यावरणीय, आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं की पहचान की जाती है।

- **लक्ष्य निर्धारण :** उपरोक्त अवधारणा को ध्यान में रखते हुए जलग्रहण परियोजनाओं के अंतर्गत स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप तथा संसाधनों की बिगड़ी हुई स्थिति की गहनता से अध्ययन कर क्षेत्र के संतुलित एवं समग्र विकास हेतु परियोजना की पाँच वर्ष की अवधि के उपरांत प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्यों (vision) का निर्धारण किया जाना चाहिए। यह लक्ष्य किसी भी परियोजना क्रियान्वयन दल का परियोजना को लेकर जो उनके स्वप्न (vision) हैं, उनको समावेश करते हुए निर्धारित किया जाता हैं। यह लक्ष्य निर्धारित करना इसलिए भी आवश्यक है, क्योंकि इससे परियोजना समाप्ति के उपरांत परियोजना के प्रभावों का आकलन लक्ष्यों (vision) की प्राप्ति की तुलना में किया जा सकता है।

- **उद्देश्य निर्धारण :** जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजना के अन्तर्गत सर्वांगीण विकास के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिन प्राकृतिक, सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यों (purposes) को प्राप्त करना है, उनका उल्लेख किया जाना आवश्यक है। परियोजना क्रियान्वयन दल का इन उद्देश्यों पर पूरा नियंत्रण होता है, क्योंकि क्रियान्वयन दल के सदस्यों द्वारा निष्पादित गतिविधियों तथा उनके द्वारा प्राप्त परिणामों के आधार पर ही इन उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के स्तर का आकलन जिन "सांकेतकों" के आधार पर किया जायेगा तथा इन सांकेतकों की किस माध्यम से पुष्टि की जाएगी, उसका निर्धारण भी किया जाना होगा।

- **परिणाम :** जलग्रहण परियोजना के अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक तथा भौतिक परिणामों (output) का निर्धारण किया जाना आवश्यक है, क्योंकि इन परिणामों के आधार पर ही हम परियोजना के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकेंगे। इन प्रभावों अथवा परिणामों के लिए परियोजना क्रियान्वयन दल पूर्णतः उत्तरदायी होते हैं। इन परिणामों की प्राप्ति के लिए ही क्रियान्वयन दल को वित्तीय एवं अन्य संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। यदि कोई परियोजना क्रियान्वयन दल निर्धारित परिणामों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो इसके दो कारण हो सकते हैं कि या तो उन्होंने गतिविधियों का सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं किया है अथवा परियोजना के आयोजन के समय उनके द्वारा वास्तविक लक्ष्य, उद्देश्य एवं परिणामों का निर्धारण नहीं किया गया। अतः यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि परियोजना के तहत वास्तविक उद्देश्यों एवं परिणामों का निर्धारण किया जाये। इन परिणामों की प्राप्ति के स्तर का आकलन जिन "सांकेतकों" के आधार पर किया जायेगा तथा इन सांकेतकों की किस माध्यम से पुष्टि की जाएगी, उसका निर्धारण भी किया जाना होगा।

- **गतिविधियों का निर्धारण :** जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजना के सर्वांगीण विकास के निहित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, वित्तीय तथा प्रशासनिक गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के उपरांत ही वांछित परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। गतिविधियों के निर्धारण में परियोजना के तहत अन्ततः प्राप्त होने वाले लक्ष्य को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिससे उनकी पूर्ति के लिए अन्य विभागों/परियोजना से वांछित

समन्वय के लिए गतिविधियों का निर्धारण किया जा सके। परियोजना के तहत सम्पादित किए जाने वाले भौतिक गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य गतिविधि जो परियोजना के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक है, जैसे बैठक, अनुश्रवण, सर्वेक्षण, मूल्यांकन आदि को भी शामिल किया जाना होगा। यह चरण परियोजना की सफलता की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी चरण के आदान के आधार पर ही परियोजना के निर्धारित परिणाम, उद्देश्य एवं लक्ष्य निर्भर करते हैं। अतः परियोजना क्रियान्वयन दल द्वारा इस चरण में सभी भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, संस्थागत तथा वित्तीय गतिविधियों का निर्धारण किया जाना चाहिए। गतिविधियों का निर्धारण गतिविधि सारणी के माध्यम से किया जाना चाहिए, जिससे वर्ष वार तथा परियोजना अवधि के दौरान सम्पादित होने वाली सभी गतिविधियों को सुव्यवस्थित ढंग से नियोजित किया जा सके। कृपया उपरोक्तानुसार वर्णित प्रक्रिया का पालन करते हुए वर्ष 2006 हेतु स्वीकृत सभी माईक्रोवाटरशेडों की कार्य योजना बनाई जाये।

6.1.3 चयनित माइक्रो वाटरशेडों के अंतर्गत कियान्वित की जाने वाली गतिविधियों में भूमि कटाव पर नियंत्रण, संतही जल संग्रहण, भू-जल संवर्धन, पड़त भूमि विकसित कर इस पर कृषि, उद्यानिकी, कृषि उद्यानिकी, वानिकी, कृषि वानिकी, घास उत्पादन को प्राथमिकता दी जाये और इन उपचार गतिविधियों को चाहने वाले ग्रामीणों को उपयोगकर्ता दलों के रूप में संगठित किया जाये। कृपया ध्यान रखें कि गतिविधिवार उपयोगकर्ता दलों का स्पष्ट गठन अनिवार्य है।

6.1.4 चयनित माइक्रोवाटरशेड में निवास करने वाले भूमिहीन ग्रामीणों, ग्रामीण कारीगरों तथा लघु एवं सीमांत कृषकों हेतु आय के वैकल्पिक स्त्रोत सृजित करने के लिए आयमूलक गतिविधियों का भी प्रावधान रखा गया है। अतः स्थानीय साधनों एवं संसाधनों तथा बाजार की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक स्वीकृत माइक्रोवाटरशेड में आयमूलक गतिविधियों का चयन किया जाये। इन गतिविधियों के अंतर्गत मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, उद्यानिकी, कृषि वानिकी, घास विकास तथा शासकीय/सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण को प्राथमिकता दी जाये। प्रत्येक माइक्रोवाटरशेड में चयनित आयमूलक गतिविधियों हेतु कम से कम 5 स्वावलंबन दलों का गठन अनिवार्यतः किया जाये। महिलाओं में बचत एवं साख की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने के लिये प्रत्येक स्वीकृत माइक्रोवाटरशेड में 2 महिला स्व सहायता समूहों का भी गठन किया जाये।

6.1.5 प्रत्येक स्वीकृत माइक्रोवाटरशेड में उपयोगकर्ता दल तथा स्वावलंबन दल के लिए चयनित गतिविधि हेतु निर्धारित प्रपत्र में गतिविधिवार कार्ययोजना तैयार की जाये और प्रत्येक गतिविधि हेतु तैयार की गई कार्ययोजना को संकलित कर संपूर्ण माइक्रोवाटरशेड की एकजाई कार्ययोजना बनाई जाये। एकजाई कार्ययोजना में सम्मिलित प्रत्येक गतिविधि के साथ उनके लिये गठित समूह, प्रस्तावित गतिविधि की ड्राइंग, डिजाइन व प्राक्कलन का विवरण तैयार कर लगाए जाये। कार्य योजना के साथ संबंधित माइक्रोवाटरशेड का 1 खसरा नक्शा अनिवार्यतः लगाया जाये, जिसमें समस्त प्रस्तावित जलग्रहण क्षेत्र विकास गतिविधियां चिन्हांकित की जायें। इस नक्शे पर पड़त/बंजर भूमि का क्षेत्र तथा इस पर प्रस्तावित गतिविधियां विशिष्ट रूप से दर्शाई जायें, ताकि परियोजना की समाप्ति पर यह मूल्यांकन किया जा सके कि कितनी पड़त भूमि को उत्पादन योग्य बनाकर इस पर विविध उत्पादन किया जा रहा है। कार्य योजना में प्रस्तावित जलग्रहण क्षेत्र विकास गतिविधियों के प्लान (ड्राइंग, डिजाईन व प्राक्कलन) को तैयार करते समय स्थानीय क्षेत्र की विशिष्टताओं और तकनीकी मानदंडों का ध्यान अवश्य रखा जावे, ताकि परियोजना के क्रियान्वयन के फलस्वरूप जनित होने वाली संरचनायें व परिसम्पत्तियां सुदृढ़ हों और लम्बे समय तक ग्रामीणों को लाभ दे सकें।

6.1.6 प्रत्येक स्वीकृत माइक्रोवाटरशेड में मृदा संरक्षण व जल संग्रहण व संवर्धन की गतिविधियां चयनित करते समय एन.आर.ई.जी. के तहत जलग्रहण परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जारी निर्देशों के अनुक्रम में लागत के पक्ष को ध्यान में रखते हुए बनाई जाने वाली संरचनाओं के तकनीकी पक्ष व स्थायित्व का भी ध्यान रखा जाये।

6.1.7 परियोजना का क्रियान्वयन जन सहभागिता पर आधारित रणनीति के अनुक्रम में किया जाना है। अतः प्रत्येक स्वीकृत माइक्रोवाटरशेड की कार्ययोजना में यह सुनिश्चित करें कि वह केवल चुनिंदा व्यक्तियों के हित की ही पर्याय न बने, वरन इसमें माइक्रोवाटरशेड में रहने वाले अधिक से अधिक

ग्रामीणों विशेषकर लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए यथासंभव जलग्रहण क्षेत्र विकास गतिविधियां प्रस्तावित की जाये। इसके अतिरिक्त सामुदायिक तथा शासकीय पड़त भूमि के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जावे।

6.1.8 ग्राम स्तर पर, चयनित/स्वीकृत माइक्रोवाटरशेड में आने वाले गांवों की संबंधित ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र में वाटरशेड परियोजना का क्रियान्वयन विस्तारित पानी रोको समिति की सलाह एवं अनुशंसा के अनुरूप करेगी। अतः पानी रोको समिति का वर्तमान आकार /स्वरूप विस्तारित किया जाये एवं इसमें उपयोगकर्ता दल, स्व–सहायता समूह, महिला स्व–सहायता समूहों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाये। चयनित माइक्रो वाटरशेड के क्रियान्वयन के लिये ग्राम पंचायत विस्तारित पानी रोको समिति की सलाह एवं अनुशंसा पर समस्त कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करेगी।

6.1.9 प्रत्येक चयनित माइक्रोवाटरशेड हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना में विभिन्न गतिविधियों का वर्षवार नियोजन निम्नानुसार किया जाये :–

वर्ष	गतिविधि
2006	क्षेत्र चयन, प्रचार प्रसार, सामुदायिक संगठन व कार्य योजना बनाना व अनुमोदन, रिज टू वेली सिद्धांत के अनुक्रम में मृदा संरक्षण, सतही जल संग्रहण तथा भूजल संवर्धन की गतिविधियों का क्रियान्वयन प्रारंभ करना
2007	रिज टू वेली सिद्धांत के अनुक्रम में मृदा संरक्षण, सतही जल संग्रहण तथा भूजल संवर्धन की गतिविधियों का क्रियान्वयन तथा आयमूलक गतिविधियों का प्रारंभ।
2008	मृदा संरक्षण, सतही जल संग्रहण तथा भूजल संवर्धन की गतिविधियों का क्रियान्वयन;वानिकी, उद्यानिकी, कृषि वानिकी, कृषि उद्यानिकी तथा घांस विकास इत्यादि गतिविधियों के लिये आवश्यक तैयारी व क्रियान्वयन प्रारंभ करना।
2009	मृदा संरक्षण, सतही जल संग्रहण तथा भूजल संवर्धन की गतिविधियों का क्रियान्वयन पूर्ण करना, वानिकी, उद्यानिकी, कृषि वानिकी, कृषि उद्यानिकी तथा घांस विकास इत्यादि गतिविधियों का क्रियान्वयन और आय मूलक गतिविधियों को स्थायित्व प्रदान करना। जनित परिसम्पत्तियों से प्राप्त होने वाले लाभों के वितरण की प्रक्रिया का निर्धारण। आवश्यक रख रखाव व इस हेतु दायित्व निर्धारण। इस हेतु प्रशिक्षण
2010	शेष सभी जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यों का क्रियान्वयन पूर्ण करना तथा गैप फिलिंग और आवश्यक सुधार। जनित परिसम्पत्तियों से प्राप्त होने वाले लाभों के वितरण की प्रक्रिया का निर्धारण। परियोजना समाप्ति पर परिसम्पत्तियों सहित इसका समाज को हस्तांतरण।

7. चयनित जलग्रहण क्षेत्र विकास गतिविधियों का क्रियान्वयन व धनराशि का नियोजन:

7.1 प्रत्येक चयनित माइक्रोवाटरशेड हेतु बनाई गई कार्ययोजना को नियमानुसार स्वीकृत कराकर चयनित जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यों/गतिविधियों का क्रियान्वयन प्रारंभ कराया जाये और इस हेतु संबंधित ग्राम पंचायतों को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार खाते खोलकर वांछित धनराशि आवंटित की जाये। स्वीकृत परियोजना के अंतर्गत रू. 8000 प्रति हेक्टेयर के मान से राशि प्रदाय की जायेगी। वर्षवार ग्राम पंचायतों एवं परियोजना क्रियान्वयन दल को एन.आर.ई.जी. के तहत जलग्रहण परियोजनाओं के तहत जारी की जाने वाली किश्तों तथा प्राप्त राशि का विभिन्न मदों में निर्गमन का विवरण संलग्न मार्गदर्शी सिद्धांत (2006) के कंडिका क्र. 7.1 से 7.7 पर दिया गया है। कृपया इस विवरण के अनुसार ही परियोजना क्रियान्वयन दल व ग्राम पंचायतों को राशि प्रदाय की जावे और किश्तों के प्रस्ताव तैयार किये जावें।

7.2 संलग्न मार्गदर्शी सिद्धांत (2006) के कंडिका क्र. 13.1 से 13.5 पर उल्लेखित अनुरूप परियोजना का लेखा जोखा, प्रगति विवरण व समस्त रिकार्ड व रजिस्टर अनिवार्यतः पृथक से संधारित किया जायें।

कृपया उपरोक्तानुसार वर्णित प्रक्रिया व अनुरूप राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जलग्रहण परियोजनाओं की आयोजना व क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। किसी भी तरह की कमी पाये जाने पर अथवा अन्यथा की स्थिति में जिला पंचायत स्वयमेव जिम्मेदार होगी।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(सचिन सिन्हा),
संचालक
राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन
म.प्र. भोपाल

पृ.क्र. 1151 /22/वि–9/आरजीएम/2006 भोपाल, दिनांक 28/01/2006

प्रतिलिपि :

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत – बड़वानी, बालाघाट, बैतूल, छतरपुर, धार, झाबुआ, खण्डवा, खरगोन, मण्डला, शहडोल, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़, उमरिया, डिण्डोरी, सतना एवं सिवनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. संचालक, राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन की ओर सूचनार्थ।
3. परियोजना समन्वयक, जिला गरीबी हटाओ योजना, एप्को परिसर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. परियोजना समन्वयक, मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना, बीज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. संचालक, कृषि, विन्ध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. संचालक, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, पर्यावास भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

संचालक
राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन
म.प्र. भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
—: आदेश :—

क्रमांक 3770 /1036/22/वि—10/ग्रायांसे/05 भोपाल दिनांक 18/08/05

स्थाई आदेश क्रमांक 1 वर्ष 2003—04 में प्रथम संशोधन

ग्रामीण विकास विभाग के स्थाई आदेश क्र0 1/2003-04 क्र0 3393/22/वि-10/ग्रायांसे/03 भोपाल दिनांक 31/10/03 में रोजगार मूलक कार्यों में श्रमिकों को हटाकर काम करने वाली मशीनों के उपयोग प्रतिबंधित होने के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किये गये थे। उक्त आदेश के पैरा-2 को निम्नानुसार परिमार्जित किया जाता है :-

2/ निम्नलिखित कार्यों में नीचे दर्शाये अनुसार मशीनरी का उपयोग किया जा सकेगा :-

सड़क निर्माण कार्यों में	पुलिया निर्माण कार्यों में	तालाब निर्माण गहरीकरण/जल संवर्धन कार्यों में	भवन निर्माण कार्यों में
(1) मुरुम परिवहन। (2) मिट्टी परिवहन। (3) पानी छिड़काव हेतु टेंकर लगाना। (4) काम्पेक्शन हेतु रोलर लगाना।	(1) निर्माण सामग्री का परिवहन। (2) कांक्रीट मिक्सिंग एवं कम्पेक्सन (मिक्सर मशीन व वायब्रेटर द्वारा)। (3) आर.सी.सी. कार्य का वायब्रेटर से कम्पेक्सन	(1) निर्माण सामग्री मिट्टी, मुरम मिट्टी, रेत, बोल्डर आदि का परिवहन। (2) पानी छिड़काव टेंकर/पम्प द्वारा। (3) मिट्टी दबाई, कॉम्पेक्शन का कार्य रोलर द्वारा।	(1) निर्माण सामग्री ईंट, रेत, सीमेंट, लोहा आदि का परिवहन। (2) आर.सी.सी. कार्य के कम्पेक्सन हेतु वाइब्रेटर लगाना।

3/ उपर्युक्त कार्यों में दर्शाई गई सामग्री का परिवहन 100 मीटर से अधिक लीड होने पर ही मशीनों से किया जा सकेगा।

4/ जिला स्तर पर सभी क्रियान्वयन विभागों, ग्राम पंचायतों में ये निर्देश प्रसारित किये जावें।

(वसीम अख्तर)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ0क्रमांक 3771 /1036/22/वि—10/ग्रायांसे/05 भोपाल दिनांक 18/08/05
प्रतिलिपि ::

1. समस्त कलेक्टर, म0प्र0।
2. समस्त अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।
4. समस्त कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।

सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

म0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
विन्ध्याचल भवन, भोपाल

कमांक 6844 /वि–12 / ग्रा.स. / 2005 भोपाल दिनांक 22/9/2005

प्रति,

1. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत,
   झाबुआ / मण्डला / उमरिया / शहडोल / बढवानी / शिवपुरी / सीधी / टीकमगढ / बालाघाट / छतरपुर / बैतूल / खरगौन / श्योपुर / धार / खण्डवा
   मध्यप्रदेश

2. कार्यपालन यंत्री,
   ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग
   झाबुआ / मण्डला / उमरिया / शहडोल / बढवानी / शिवपुरी / सीधी / टीकमगढ / बालाघाट / छतरपुर / बैतूल / खरगौन / श्योपुर / धार / खण्डवा
   मध्यप्रदेश

विषयः–जिले के पर्सपेक्टिव प्लान में गांव को जोड़ने के लिए सड़क निर्माण बाबत ।

–0–

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि जिले के लिए तैयार किये जा रहे पर्सपेक्टिव प्लान में ग्रामीण संपर्क मार्गों से संबंधित कार्यों का, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप, समावेश किया जाए :–

1. सामान्य क्षेत्र में 500 से कम आबादी तथा आदिवासी क्षेत्र में 250 से कम आबादी के गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए सड़क का निर्माण ।
2. उपरोक्त दोनों प्रस्ताव को तैयार करने के लिए प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के महाप्रबंधक द्वारा तैयार किये गये कोर नेट–वर्क / मास्टर प्लान का उपयोग किया जाकर, प्रस्ताव पर्सपेक्टिव प्लान में शामिल किये जाएं, ताकि इन 500 अथवा 250 से कम आबादी के गांव को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्मित होने वाली सड़क अथवा अन्य डामरीकृत सड़क से जोड़ने के प्रस्ताव भारत शासन के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप हो ।
3. प्रत्येक गांव में भारत सरकार के निर्देशानुसार सिंगल कनेक्टिविटी ही दी जाना संभव है, अतः इसके लिए कोर नेट–वर्क में चयनित एलाइनमेंट को लिया जाना उपयुक्त होगा । इस तरह की परियोजना तैयार करने के लिए प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया को उसमें आबादी के घटते क्रम में गांव को जोड़ने की प्राथमिकता निर्धारित हो, के अनुरूप सड़कों की प्राथमिकता तय की जाना उचित होगा ।
4. प्रथम चरण में उपरोक्त सभी मार्ग ग्रेवल रोड़ तक ही बनाए जाने का प्रावधान किया जाए तथा साथ में बनने वाली पुल–पुलियाओं को भी शामिल किया जाए ।
5. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप उक्त सड़कों को 3 मीटर चौड़ा कैरिज–वे तथा 6 मीटर टॉप विड्थ के साथ निर्माण किये जाने का प्रावधान रखा जा सकता है ।

(प्रमुख सचिव द्वारा आदेशित)

(एम.के.गुप्ता) 21/9/05
मुख्य महाप्रबंधक,
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
भोपाल

6845

पृ0क्रमांक /22/वि–12/ग्रा.स./2005 भोपाल दिनांक 22/9/2005

प्रतिलिपिः–

1. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश ।
2. कलेक्टर,जिला झाबुआ/मण्डला/उमरिया/शहडोल/बढवानी/शिवपुरी/सीधी/टीकमगढ/बालाघाट/छतरपुर/बैतूल/खरगौन/श्योपुर/धार/खण्डवा, मध्यप्रदेश
3. समस्त अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

मुख्य महाप्रबंधक,
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
भोपाल

(347)

मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 8440/वि–12/ग्रा.स./2005 भोपाल दिनांक 18/10/2005

प्रति,

1. कार्यपालन यंत्री,
   ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग
   झाबुआ/मण्डला/उमरिया/शहडोल/बढवानी/शिवपुरी/सीधी/टीकमगढ/बालाघाट/छतरपुर/बैतूल/खरगौन/श्योपुर/धार/खण्डवा
   मध्यप्रदेश
2. समस्त कार्यपालन यंत्री,
   लोक निर्माण विभाग,
   झाबुआ/मण्डला/उमरिया/शहडोल/बढवानी/शिवपुरी/सीधी/टीकमगढ/बालाघाट/छतरपुर/बैतूल/खरगौन/श्योपुर/धार/खण्डवा
   मध्यप्रदेश
3. समस्त महाप्रबंधक,
   म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
   परियोजना कियान्वयन इकाई,
   झाबुआ/मण्डला/उमरिया/शहडोल/बढवानी/शिवपुरी/सीधी/टीकमगढ/बालाघाट/छतरपुर/बैतूल/खरगौन/श्योपुर/धार/खण्डवा
   मध्यप्रदेश

विषयः– एन.आर.ई.जी.ए. के अन्तर्गत ग्राम संपर्कता के लिए योजना तैयार करने बाबत ।

–0–

एन.आर.ई.जी.ए. के अन्तर्गत ग्राम संपर्कता का कार्य भी एक बडे सेक्टर के रूप में लिया जाना प्रस्तावित किया गया है, जिसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम संपर्कता का कार्य भी हाथ में लिया जाना है । इसके लिए लिये जाने वाले कार्य को चिन्हित किया जाएगा । तदुपरान्त उनके डी.पी.आर., प्राक्कलन आदि बनाकर, कार्य का संपादन ग्रामीण यांत्रिकी सेवा तथा लोक निर्माण विभाग के माध्यम से किया जाएगा ।

इस योजना के तहत अभी 250 से 999 तक की जनसंख्या वाले ग्राम, जो प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप गैर जुडे ग्रामों की श्रेणी में है, जिसके लिए कोर नेटवर्क मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया है, उनको जोड़ने के लिए ग्रेवल रोड बनाने का प्रावधान किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक मजदूरों को मजदूरी उपलब्ध हो सके तथा प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत डामरीकरण मार्ग बनाए जाने के लिए ग्रेवल रोड़ तक का मार्ग इस योजना से निर्माण किया जा सके ।

इस योजना को तैयार करने के लिए ग्रामों को चिन्हित करने तथा उनके प्रस्तावों को ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायतों से अनुमोदित कराए जाने के लिए सेवा निवृत्त अधिकारियों का चयन किया गया है, जिनकी सूची संग्न है । उनको पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए तथा परियोजना तैयार करवाई जाए, ताकि भारत सरकार से निर्देश प्राप्त होते ही कार्यों का संपादन प्रारंभ किया जा सके । उक्त जनसंख्या की श्रेणी वाले गैर जुडे ग्रामों की सूची महाप्रबंधक, परियोजना कियान्वयन इकाई, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के पास उपलब्ध है, उसे वहां से प्राप्त किया जा सकता है ।

संलग्न–यथावर्णित

(वसीम अख्तर)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,
मंत्रालय भोपाल

P.T.O.

पृ0क्रमांक 4111/ 22 / वि--12 / ग्रा.स. / 2005 भोपाल दिनांक 18 / 10 / 2005

प्रतिलिपिः--

1. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश ।
2. कलेक्टर,जिला झाबुआ / मण्डला / उमरिया / शहडोल / बढवानी / शिवपुरी / सीधी / टीकमगढ / बालाघाट / छतरपुर / बैतूल / खरगौन / श्योपुर / धार / खण्डवा, मध्यप्रदेश
3. समस्त अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,
मंत्रालय भोपाल

(349)

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक 6707 /505/तक./वि–10/ग्रायांसे/2005 भोपाल दिनांक 8 /12/05

–: तकनीकी परिपत्र क्रमांक 1/2005–06 :–

प्रति,

1. अधीक्षण यंत्री (समस्त)
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा,
म0प्र0

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (समस्त),
जिला पंचायत,
म0प्र0

3. कार्यपालन यंत्री (समस्त),
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा,
म0प्र0

विषय :– ग्रामीण विकास की योजनाओं के अंतर्गत तालाब निर्माण/मरम्मत कार्यों का वर्गीकरण।

संदर्भ :– 1. इस कार्यालय का आदेश क0 8, संशोधन क0 3, पत्र क0 3150/22/वि–10/ग्रायांसे/2000, भोपाल दि0 5/7/2000
2. इस कार्यालय का आदेश क0 8, संशोधन क0 8, पत्र क0 1539/524/22/वि–10/ग्रायांसे/01, भोपाल दि0 4/3/2001
3. इस कार्यालय का आदेश क0 3499/19/22/वि–10/ग्रायांसे/02, भोपाल दि0 24/10/02

—000—

राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना, समविकास योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में जल संवर्धन कार्य के तहत बड़ी संख्या में तालाब निर्माण/मरम्मत के कार्य स्वीकृत किये जा रहे हैं। कुछ जिलों में तैयार किये प्राक्कलनों का परीक्षण कराने पर पाया गया कि तालाब के प्रकरणों में गहरीकरण के नाम पर नवीन कार्य अथवा मरम्मत कार्य की श्रेणी का सही–सही वर्गीकरण किये बगैर तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा रही है। स्वीकृति आदेश जारी करने से पूर्व कार्य का निम्नानुसार उद्देश्य एवं आवश्यकता का पूर्ण परीक्षण करने के पश्चात ही प्रस्तावित कार्य की श्रेणी का उचित रूप से निर्धारण कर सक्षम अधिकारी द्वारा तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति दी जाना चाहिये :–

(क) तालाब से संबंधित नवीन कार्य के अंतर्गत निम्न कार्य लिये जावें :–
1. पूर्ण रूप से नवीन तालाब (Earthen Dam) का निर्माण।
2. पूर्व निर्मित तालाब में नवीन घाट का निर्माण।
3. पूर्व निर्मित तालाब में पिचिंग एवं वेस्टवियर के नवीन कार्य।
4. पूर्व निर्मित तालाब की जल संग्रहण क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से गेढ़ के मूल स्वरूप (लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई) में परिवर्तन/वृद्धि।
5. पक्के तालाब (Masonry Dam) का निर्माण।

* ये कार्य जल संसाधन के माध्यम से ही कराये जावे।

(ख) तालाब से संबंधित मरम्मत के अंतर्गत निम्न कार्य लिये जावें :–

1. पूर्व निर्मित तालाब की मेढ़ की मिट्टी का क्षरण होने अथवा मेढ़ के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में मेढ़ के मूल स्वरूप (कॉस सेक्शन) को पुनः बनाना।
2. पूर्व में निर्मित पिचिंग एवं वेस्टवियर की मरम्मत।
3. तालाब में पूर्व से निर्मित घाट की मरम्मत।
4. तालाब की गाद (सिल्ट) हटाने का कार्य/गहरीकरण।

* मेढ़ व भीतरी किनारे से 10, 20 एवं 30 मीटर छोड़ते हुये कमशः 0.5 मी0, 1.0 मी0 एवं अधिकतम भूमि सतह से नीचे 1.5 मी0 तक खुदाई की जा सकती है।

सामान्य निर्देश :–

1. किसी भी तालाब में सामान्यतः 5 वर्ष से पूर्व दोबारा कार्य न कराया जावे।
2. मिट्टी के तालाब निर्माण कार्यो का कियान्वयन बोधी (Buero of Design & Hydel Investigation) द्वारा जारी तकनीकी परिपत्रों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप किया जावे।
3. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व की स्थिति एवं पूर्णता पश्चात निर्माण कार्य (बंड के कॉस सेक्शन आदि) के फोटोग्राफ लिये जाकर, एक प्रति निर्माण कार्य की नस्ती में तथा एक प्रति पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ प्रशासकीय विभाग को प्रेषित की जावे।
4. तालाब गहरीकरण/मरम्मत के प्रकरणों में इसी तालाब में पूर्व के वर्षो में कराये गये कार्यो की जानकारी यथा– स्वीकृति वर्ष, योजना का नाम, कार्य की लागत, निर्माण ऐजेन्सी तथा कराये गये कार्य का विवरण एवं संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत की निरीक्षण टीप, दिनॉक सहित हस्ताक्षर के, रखी जावे।

(वसीम अख्तर)
सचिव
म0प्र0 शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ0कमॉक 6708 /505/तक/ग्रायांसे/2005 भोपाल दिनॉक 8 /12/05

प्रतिलिपि ::

1. विकास आयुक्त, म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. संभागायुक्त (समस्त) म0प्र0।
3. कलेक्टर (समस्त) म0प्र0।

सचिव
म0प्र0 शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग